RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503031

DEC 2007

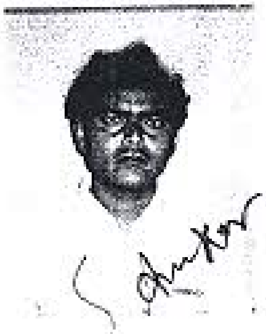

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 46,57,050/—

बाजारू मूल्य — रू0 8,18,750/—

अदा किये गये जनरल स्टैम्प— रू0 4,65,800/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — देवामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 19अ रकबा

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503032

DEC 2007

0.033 हेक्टेअर, खसरा संख्या 19ब रकबा 0.542 हेक्टेअर, खसरा संख्या 18 रकबा 0.080 हेक्टेअर कुल बिक्रीत रकबा 0.655 हेक्टेअर स्थित ग्राम–देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503033

5.	मापन की ईकाई	–	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.655 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	–	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	–	कुछ भी नहीं है ।

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503034

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 19अ व 19ब

उत्तर	: खसरा संख्या–20
दक्षिण	: खसरा संख्या–16
पूरब	: खसरा संख्या–69
पश्चिम	: खसरा संख्या–17, 18

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 18

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503035

उत्तर : खसरा संख्या–19

दक्षिण : खसरा संख्या–19

पूरब : खसरा संख्या–19

पश्चिम : खसरा संख्या–17

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
कल्लूराम पुत्र बाबूलाल	:	अरूण कुमार वर्मा पुत्र विशम्भर

कल्लू राम

Arun Kr

RUPEES 25000 रुपये — भारतीय गैर न्यायिक — INDIA NON JUDICIAL — RUPEES 25000 रुपये — पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503036

निवासी– ग्राम –देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।		निवासी– ग्राम– नन्दौली, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि / नौकरी

यह विक्रय विलेख कल्लूराम पुत्र बाबूलाल निवासी– ग्राम–देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503037

आगे विक्रेता कहा गया है एवम् अरूण कुमार वर्मा पुत्र विशम्भर निवासी–ग्राम–नन्दौली, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503038

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 19अ रकबा 0.033 हेक्टेअर, खसरा संख्या 19ब रकबा 0.542 हेक्टेअर, खसरा संख्या 18 रकबा 0.080 हेक्टेअर कुल बिक्रीत रकबा 0.655 हेक्टेअर स्थित ग्राम–देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503039

खतौनी 00007 के अनुसार भूमि विकेता के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विकेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अनिलेखों में हो गया है। विकेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रहा है विकेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503040

के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय,

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503041

हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503042

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विकेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विकेता को उक्त विकय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विकय मूल्य रू0 46,57,050/— के प्रतिफल में जिसका

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 503043

उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 DEC 2007

स. को. अ/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503029

केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे । विकेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेता के

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 503028

स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेता की चल, अचल सम्पत्ति से

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 503027

जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

503026

विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000
03BB 579804

यह कि केता विकयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विकय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेता भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 897684

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 12,50,000/– प्रति हेक्टेअर हैं इस प्रकार बिक्रीत भूमि 0.655 की कुल मालियत 8,18,750/– होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 971686

रू0 4,65,800/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 971687

भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 9

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लि
दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 46,57,050/- द्वारा चेक संख्या- 5995 दिनांकित 04.12.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगं लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

4-12-07
1001-
अरुण कुमार वर्मा

विक्रय पत्र

,050.00/	819,000.00	5,000.00	20	5,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

/श्रीमती कल्लूराम
/ पत्नी श्री बाबूलाल
कृषि
ी स्थायी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
यी पता

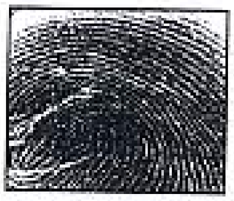

ह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4/12/2007 समय 4:55PM
नेबन्धन हेतु पेश किया।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/12/2007

ादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजनुन व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त
ा

ीमती कल्लूराम
त्नी श्री बाबूलाल
कृषि
सी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ

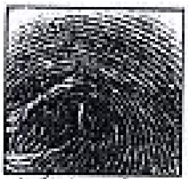

क्रेता
श्री/श्रीमती अरुण कुमार वर्मा
पुत्र/पत्नी श्री विशम्भर
पेशा कृषि
निवासी ग्राम नन्दौली वह.हसनगंज जि.उन्नाव

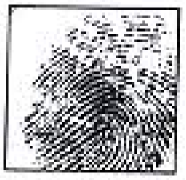

ादन स्वीकार किया।
। पहचान श्री अयोध्या प्रसाद
ी स्व.मेंढ़ी लाल
कृषि
ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
ी बी.आर.शर्मा
ी ए.आर.शर्मा
व्यापार
18,मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ
।

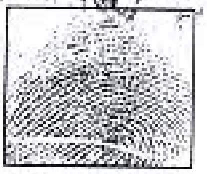

ह भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/12/2007

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य 46,57,050/

(रूपया छियालिस लाख सत्तावन हजार पचास मात्र) केता से प्र

हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई

धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं हैं।

लखनऊ:

दिनांक : 04.12.2007

गवाह :

1.

विकेता

2.

केता

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह
एडवोक

विक्रेता

gistration No 10714 Year : 2007 Book No. 1

लल्लूराम

ाथूलाल

ान देवामऊ मर.बिजनौर,लखनऊ

ृषि

ग्राम का नाम हैवतमऊ परगना बिजनौर
खसरा नं. [illegible] तहसील व जिला - लखनऊ

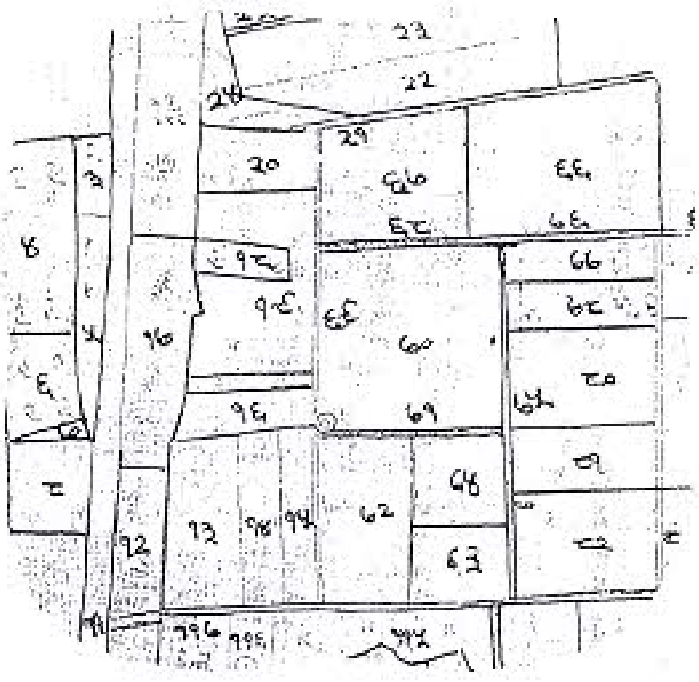

विक्रेता
कल्लूराम

क्रेता

क्रेता

istration No. 10714 Year : 2007 Book No. 1

रक्षण कुमार वर्मा

शिम्पर

ाम नन्दौली तह.हसनगंज जि.उन्नाव

नि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के ह

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के ह

आज दिनांक 04/12/2007 को

वही सं 1 जिल्द सं 8748

पृष्ठ सं. 241 से 292 पर कमांक 10714

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के.पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

4/12/2007

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 39020500395 ग्राम का नाम : देवामऊ परगना बिजनौर तहसील : लखनऊ

जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00007	कल्लू राम	बाबूलाल	नि ग्राम	1372फ.	193	0.0330			
				1372फ.	18	0.0800			
				1372फ.	19ग	0.5420			
				1372फ.	34	0.7420			
				कुल गाटे :	4 कुल क्षे :	1.3970	40.90		

18/08/2007